कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना चिल्फी , जिला – कबीरधाम (छ.ग.)

परिशिष्ट – चार

चस्पा करने का दिनांक ---------- 05/11/2026 ---------- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2026 पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की अनंतिम सूची ---------- दावा आपत्ति दिनांक ---------- 14/11/2026 ----------

सरल क्रमांक	आंगनवाड़ी केंद्र का						पिता / पति का नाम	निवास	जाति	आयु	शैक्षणिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्तांक	कुल प्राप्तांक का प्रतिशत	प्राप्तांक प्रतिशत का 60 प्रतिशत	विधवा / परित्यक्ता		अनु. जाति/जन जाति होने पर		गरीबी रेखा परिवार से		कार्यकर्ता /सहायिका होने पर		अनुभव		कुल प्राप्तांक	योग्यता क्रम	यदि अपात्र किया गया है, कारण लिखें
	पंजीयन क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	केंद्र का नाम	पद जिस हेतु आवेदन किया गया है	कुल प्राप्त आवेदन की संख्या	प्रत्येक आवेदिका का नाम										विवरण	अंक	विवरण	अंक	विवरण	अंक	विवरण	अंक	विवरण	अंक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	382-1687-11	घानीखुंटा	परसाही	आंगनबाडी कार्यकर्ता	4	जानकी	अभिलाष	ग्राम परसाही कबीरधाम 491888	अनुसूचित जनजाति	24वर्ष	12th	500	263	52.6	31.6			10								41.6	प्रथम	
2	382-1548-11	घानीखुंटा	परसाही	आंगनबाडी कार्यकर्ता		जानकी टांडे	दिनेश कुमार टांडे	ग्राम परसाही कबीरधाम 491888	पिछड़ा वर्ग	30वर्ष	12th	500	294	58.8	35.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.3	द्वितीय	
3	382-1532-11	घानीखुंटा	परसाही	आंगनबाडी कार्यकर्ता		मधु मरकाम	दयाल सिंह	ग्राम रानीगुडा कबीरधाम 491888	अन्य ग्राम की निवासी होने के कारण अपात्र																			
4	382-1643-11	घानीखुंटा	परसाही	आंगनबाडी कार्यकर्ता		सविता सैयाम	फगनसिंह	ग्राम रानीगुडा कबीरधाम 491888	अन्य ग्राम की निवासी होने के कारण अपात्र																			

ग्राम पंचायत– घानीखुंटा के आश्रित ग्राम परसाही के आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ऑनलाईन द्वारा प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन पत्रक में वरिष्ठता क्रम तैयार कर आवेदिकाओं से सुसंगत दस्तावेजों के प्रतिलिपि के साथ दावा आपत्ति दिनांक 05/11/2026 से 14/11/2026 तक ई–भर्ती पोर्टल में अपना दावा/आपत्ति दर्ज करा सकते है। दावा आपत्ति के सुसंगत दस्तावेज प्रतिलिपि के अभाव में दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों प्रतिलिपि के अलावा अलग से किसी प्रकार का ऐसा दस्तावेज जिस पर अंक दिया जाना है, नया दस्तावेज नहीं लिया जावेगा ऐसे बाद में संलग्न दस्तावेजों पर अंक दिये जाने पर विचार नहीं दिये जायेगें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
चिल्फी जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड बोड़ला
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
बोड़ला जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बोड़ला
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)